



FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम-26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

मधुराज सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा/बाज.प्रा.पत्र/एलआर/नं./257 सन् 2021 जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.01.2021	<p>प्रार्थी अभि:- श्री गिरीश पारीक</p> <p>पत्रावली पेश हुई । यह बाजदायरी प्रार्थना-पत्र मूल अपील संख्या 52/2012 (2012/00026) बउनवान मधुराज सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2020 को अदम तकमील में खारिज किये जाने के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक को एक तरफा सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली रिजर्व रखी जाती है।</p> <p> (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर</p>	
22.2.21	<p>पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र बाजदायरी व मूल अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार मूल अपील दिनांक 16.01.2020 को अपीलार्थी अधिवक्ता व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता की उपस्थिति में अदम तकमील खारिज की गई थी। पत्रावली तत्समय प्रत्यर्थीगण संख्या 6 व 8 के नोटिस पेश करने हेतु नियत थी। प्रकरण वर्ष 2012 अर्थात लगभग 08 वर्षों से विचाराधीन चली आ रहा था। प्रत्यर्थीगण संख्या 6 व 8 के नोटिस पेश करने हेतु दिनांक 01.10.2014 की पेशी से लगातार नियत चली आ रही थी। अर्थात लगभग 5 वर्षों से इसी आधार पर लंबित चली आ रही थी। न्यायहित में कई अवसर व अंतिम अवसर भी दिया जा चुका था किन्तु अपीलार्थी अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 6 व 8 की तलवी हेतु नोटिस पेश करने में कासिर रहे। अतः पत्रावली अदम तकमील में खारिज की गई थी न कि अदम हाजरी अथवा अदम पैरवी में। प्रार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मूल अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करना अंकित किया है जो सत्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर न. से कम हो तथा बात तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय की सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता को दी जावे।</p> <p> (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर</p>	

